डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 31 अगस्त 2001—भाद्र 9 , शक .1923

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै, रामानन्द दुबे पिता श्री शिवकिशोर जाति दुबे ग्राम दुवगवां थाना मनगवां जिला रीवा (म. प्र.) का निवासी हूं. मैं अपना उप-नाम परिवर्तन कर रामानन्द शर्मा पिता शिवकिशोर कर लिया है. अत: मुझे रामानन्द शर्मा पिता शिवकिशोर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(रामानन्द दुबे)

नया नाम
(रामानन्द शर्मा)

उप-नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै, पूर्व में हजारीलाल मालवीय सहायक ग्रेड-3 के नाम से जाना जाता था, मैंने अपना उप-नाम परिवर्तित कर अब हजारीलाल प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा. तथा पत्र व्यवहार हजारीलाल प्रजापति के नाम से करें.

पुराना नाम	नया नाम
(हजारीलाल मालवीय)	(हजारीलाल प्रजापति)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आज तक कुमारी कहकशा अंजुम उइके आत्मजा स्व. बी. एस. उइके के नाम से जानी जाती थी, मेरे द्वारा अपना नाम परिवर्तन कर कुमारी गीता उइके आत्मजा स्व. बी. एस. उइके रख लिया है. अत: मुझे आज से कुमारी गीता उइके आत्मजा स्व. श्री बी. एस. उइके के नाम से जाना पहचाना जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(कुमारी कहकशा अंजुम उइके)	(कुमारी गीता उइके)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अनिल कुमार नेवेन्द्र से अनिल कुमार सिन्हा कर लिया है, अत: मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिल कुमार नेवेन्द्र)	(अनिल कुमार सिन्हा)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम मेहतरराम कवाडकर पिता श्री हरिचन्द ग्राम घोरतालाब जिला राजनांदगांव वर्तमान पता बालोद (दुर्ग) के नाम से जाना जाता था, मैं अपना नया नाम मणिशराज कवाडकर परिवर्तित कर लिया हूं. अत: मुझे नया नाम मणिशराज कवाडकर पिता श्री हरिचन्द के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मेहतर राम कवाडकर)	(मणिशराज कवाडकर)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव

खैरागढ़, दिनांक 24-4-2001

No. 501/ प्र.1/अ.वि.अ./2001.—Where as Sardar Surjeet Singh Bhatia S/0 Late Sardar Gulab Singh Batia, Civil line Khairagarh Raj has made an application undr section 4 of the Madhya Pradesh Public Trust for Registration of the Property specified in the Schedul as a Public Trust notice is hereby given that the said application shall be taken in to consideration by as in my Court after publication of Notice.

Any person interested in the affairs of the said Trust or property and intending to make any objection for suggetion/ should file a written statement in duplicate within one month from the date of publication of this notice and appear before as on the above date of there personally or through pleader or agent. Objections received after the expiry of the above period will not be taken into consideration.

SCHEDULE

Name of Turst - SARDAR CULAB SINGH BATIA, CHARITABLE TRUST, Civil Lines, Raipur, Civil line Khairagarh.

Movable property - Rs. 5100/- (Five Thousand & one hundred Rs.)

In movable property - Nil.

Janmejay Mohabe,
Registrar.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9-7-2001

क्रमांक/क/बा.1/अ.वि.अ./पंजी/2001.—चूंकि श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट अरविन्दो इन्क्लेब दावड़ा कालोनी पचपेड़ी नाका, रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (27 जून, 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 14-8-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह के अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें. और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा ऐजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गए आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट अरविन्दो इनक्लेब दावड़ा कालोनी पचपेड़ी नाका, रायपुर

अचल संपत्ति खसरा नं. 576/7 रकबा 0.080 हे. अर्थात् 8620 वर्गफुट जिसकी अनुमानित लागत रु. 80,000 शब्दों में रु. अस्सी हजार.

रमेश शर्मा
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कवर्धा

कवर्धा , दिनांक 20-4-2001

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 5 की उप-धारा 2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) देखिये.]

क्र. 144/वाचक-1/अ.वि.अ./2001.—श्री कृष्ण कुमार आ. श्री जोधन प्रसाद चन्द्रवंशी, निवासी ग्राम सिंघनपुरी, तहसील व जिला कवर्धा ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-5-2001 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति को उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे यह सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, सी. एक्का, अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा लोक न्यास का पंजीकृत अपने न्यायालय में दिनांक 30-5-2001 की उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसके हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम और पता — जानकी वन मंदिर ग्राम विपरता

(2) चल संपत्ति — निरंक

(3) अचल संपत्ति — तालाब एवं पैठू

कवर्धा, दिनांक 30-5-2001

क्र. 527/वाचक-1/अ.वि.अ./2001.—श्री आवेदकगण क्रमशः हरिराम साहू, ग्राम-सिंघनपुरी, नेमसिंह, ग्राम-जैतपुरी, चिंताराम साहू ग्राम चीभागोदी, कन्हैयाप्रसाद ग्राम जैतपुरी, रम्हऊ साहू, ग्राम-खैरबनाकला, बौंदराम साहू, ग्राम-कापा, पुनीतराम साहू, ग्राम-बरकोही, बालराम साहू, ग्राम-जेवड़न सरेखा, चैनराम साहू, ग्राम-जेवड़न, भावसिंह साहू, ग्राम-चीभागोंदी, रामलाल साहू, ग्राम-चिखली, बाबूलाल साहू, ग्राम-मैनपुरी एवं जन्तराम साहू, ग्राम-रौचन, तहसील व जिला कवर्धा ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-6-2001 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे यह सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, सी. एक्का, अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा लोक न्यास का पंजीकृत अपने न्यायालय में दिनांक 30-6-2001 की उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम और पता — श्री रामजानकी मंदिर, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, ग्राम सिंघनपुरी, पोस्ट-खैरबनाकला, तहसील कवर्धा, जिला कवर्धा (छ. ग.).

(2) चल संपत्ति — गिलास-10 नग, जग-02 नग, दरी-01 नग, टप-01, टेबल-01 नग, कुर्सी-02 नग, बाल्टा-1 नग, गाय-03, बाजवट-1 नग (फर्नीचर), बछड़ा-2 नग, बछिया-02 नग, जलस्थल कुण्ड-12 नग, पुजापात्र-06 नग, लोहे का संबल-01 नग, लोहे का फावड़ा-01 नग, लोहे का बाल्टी-01 नग.

(3) अचल संपत्ति — 1. ग्राम जैतपुर, प.ह.नं. 33 श्री हनुमान मंदिर के नाम से स्थित कृषि भूमि ख. नं.102 रकबा 0.77 एकड़.
2. ग्राम सिंघनुपरी, प. ह. नं. 32 में शंकर एवं श्रीरामजानकी मंदिर के नाम से स्थित कृषि भूमि ख. नं. 9/6 रकबा 1.80 एवं ख. नं. 49 रकवा 1.27 एकड़.
3. ग्राम हाथिडोब प. ह. नं. 32 में श्री रामजानकी मंदिर के नाम से स्थित कृषि भूमि ख. नं. 140/1, 165/2 रकबा 0.40 एकड़ व ख. नं. 140/2, 165/1 रकबा 0.40 एकड़.
4. ग्राम जैतपुरी, प. ह. नं. 33 में स्थित श्रीरामजानकी मंदिर के नाम की कृषि भूमि ख. नं. 70/1, 70/2 रकबा 3.14, ख. नं. 81/1,81/2 रकबा 1.15, ख. नं. 95/1 रकबा 0.54, ख. नं. 145/2 रकबा 0.30, ख. नं. 147/2 रकबा 0.45, ख.नं.172/5 रकवा 0.18, ख. नं. 115/5 रकबा, 0.25, ख. नं. 267/3, 267/4, 267/5 रकबा 1.00, ख. नं. 306/1 रकबा 0.62 एकड़.

कवर्धा, दिनांक 30-5-2001

क्र. 528/वाचक-1/अ.वि.अ./2001.—श्री जनाब अशरफ आजमी आ. अब्बास आजमी, निवासी-नवाब मोहल्ला कवर्धा, जिला-कवर्धा ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है: एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 30-6-2001 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास संपत्ति में हित रखता हो और उसके वारे में कोई आपत्ति करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे यह सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, सी. एक्का, अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा लोक न्यास का पंजीकृत अपने न्यायालय में दिनांक 30-6-2001 की उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर को प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम और पता — मदरसा मदीनतुल उलूम, कवर्धा सार्वजनिक न्यास छत्तीसगढ़.

(2) चल संपत्ति — खाने पकाने के बर्तन, आलमारी, पेटी, पाटला इस सबका अनुमानित मूल्य पांच हजार रुपये है.

(3) अचल संपत्ति — घोटिया रोड में मौजा कवर्धा की जमीन ख. नं. 490, 491, 492, 493 रकबा 0.04 ए. पर बना पक्का एक मंजिला मकान जहां मदरसा संचालित होता है और न्यास का कार्यालय है.

सी. एक्का,
पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9-7-2001

क्रमांक.— क/वा-1/अविअ/पंजी.—चूंकि श्री नीलकंठ महादेव मारूति मंदिर ट्रस्ट निवासी नयापारा राजिम बढ़ई पारा सदर बाजार रोड वार्ड क्र. 8 तह. अभनपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 9-8-2001 को होगी.

यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह के अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें. और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा ऐजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता — श्री नीलकंठ महदेव मारूति मंदिर ट्रस्ट बढ़ई पारा सदर बाजार रोड नवापारा (राजिम) तहसील-अभनपुर.

(2) चल संपत्ति — ग्राम-नवापारा में स्थित ख. नं.-757 का भाग रकबा 3848 वर्गफुट जिसकी अनुमानित लागत 2,88,600-00 (दो लाख अठ्ठायासी हजार छ: सौ रुपये) उक्त मंदिर के नाम पर दानपत्र दानदाता द्वारा निष्पादित है.

रायपुर दिनांक 9-8-2001

क्रमांक क/वाचक/अविअ/पंजीयक/2001.—चूंकि श्री शेख सलीम अशरफी वल्द शेख मोहम्मद वारसी निवासी बैजनाथपारा, पुराने बीमा अस्पताल के पास रायपुर (छ. ग.) आवेदक ने शेखुल इस्लाम ट्रस्ट-बैजनाथपारा, पुराना बीमा अस्पताल के पास म. नं.-37/139-रायपुर छत्तीसगढ़ ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु इस न्यायालय में आवेदन-पत्र म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति का पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 30-8-2001 को होगी.

2. यदि किसी को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता — शेखुल इस्लाम ट्रस्ट, बैजनाथपारा, पुराना बीमा अस्पताल के पास म. नं. 37/139 रायपुर (छत्तीसगढ़).

(2) चल संपत्ति — भारतीय स्टेट बैंक शाखा शास्त्री बाजार रायपुर के खाता क्रं. 01100050130 (नया) दिनांक 1-8-2001 में रु. 1786.92 पैसे नगद में जमा.

(3) अचल संपत्ति — ग्राम डूमरतालाब, प. ह. नं. 104, तहसील रायपुर जिला रायपुर खसरा नंबर 382, 383, 384, एवं 385 का भाग रकबा 1150 वर्गफुट

रमेश शर्मा
पंजीयक.

न्यायालय, लोक न्यास पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, बलौदाबाजार

रा. प्र. क्र. 1 ब/113. वर्ष 98-99

चूंकि श्री हिम्मत लाल वर्मा पिता श्री राम वर्मा साकिन-कोड़िया ने म. प्र. लोक न्यास-अधिनियम, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के पंजीयन के लिए निवेदन किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित आपत्ति/दावा न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 23-7-2001 को समय 10.30 बजे दिन को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता — श्री हिम्मत लाल वर्मा प्रमुख ट्रस्टी वेदमाता गायत्री समिति, पलारी.

(2) चल संपत्ति — चल संपत्ति का मूल्यांकन 4,845/- किया गया है.

(3) अचल संपत्ति — ग्राम पलारी स्थित ख. नं. 1127/1 के रकबा 2.243 हे. पर कमरा, एक कुंआ, एक पक्का बाऊण्ड्री दीवाल.

आज दिनांक 25-6-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से जारी किया गया.

एच. एल. नायक,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पेदन लोक पंजीयन न्यास, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

[म. प्र. पब्लिक एक्ट 1951 की धारा 5(2) म. प्र. पब्लिक एक्ट की धारा 5(1) के अंतर्गत]

रा. प्र. क्र. 1/ब 113 (1) 96-97.

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयन लोक न्यास कटघोरा के समक्ष चण्डी कुमार यादव, रमेश कुमार चन्द्रा एवं गायत्री परिवार कुसमुण्डा शाखा एस.ई.सी.एल.एरिया तहसील, कटघोरा, जिला कोरबा ने ग्राम कुसमुण्डा (एस.ई.सी.एल.) परियोजना के भीतर भूमि ख. नं. 1067/1 रकबा 5.65 एकड़ भूमि पर स्थित श्री गायत्री प्रज्ञा पीठ ट्रस्ट को म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत ट्रस्ट घोषित करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. अतएव सर्व संबंधितों को इस उद्घोषणा द्वारा सूचना दी जाती है.

उपरोक्त संबंध में जिन व्यक्तियों को कोई आपत्ति या दावा हो तो अथवा कोई सुझाव प्रस्तुत करना चाहते तो इस उद्घोषणा प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अवधि के भीतर अपना लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत करें नियत दिनांक को एवं अथवा अपने अभिभाषक या एजेंट द्वारा मेरे समक्ष एक माह के भीतर उपस्थित होवें. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

चन्द्रहास देवांगन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं जन न्यास पंजीयन अधिकारी, गरियाबंद

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम 1951 की धारा (2) म. प्र. जन न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 51 (2)]

क्रमांक 01/ब/113 (4) वर्ष 99-2000

चूंकि मध्यप्रदेश जन न्यास अधि. 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 27-4-2001 को स्थान गरियाबंद में समय 10.30 बजे होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रूचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकता है तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता — श्री शंकर भगवान मंदिर ग्राम बिनौरी हल्का नंबर 04 तहसील राजिम

(2) चल संपत्ति — एक पीतल का घंटा 1, 1/2 कि.

(3) अचल संपत्ति —

	खसरा नंबर	रकबा
	493	0.55 हे.
	530	0.10
	406	0.19
	777/2	0.12
कुल	04	0.96

नवीन कुमार,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, छ. ग. बिलासपुर, म. प्र.

(फार्म 4 नियम 11 देखिए)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक बिलासपुर जिला के समक्ष जैसा कि हाफिज जहांगिर पुत्र शेख अमान बानी निवासी तालापारा बिलासपुर तहसील बिलासपुर ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 7-6-2001 को विचार में लिया जावेगा, कोई भी व्यक्ति को जो उक्त ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता है, और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें. अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष में उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता जिला- — दारूल उलूम फजर्रजा मदरसा फैजर्रजा पता-तालापारा बिलासपुर तहसील व बिलासपुर.

(2) चल संपत्ति — 10,000/- दस हजार रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलासपुर में जमा

(3) अचल संपत्ति — वार्ड क्र. 10, क्रांति कुमार भारतीय वार्ड तालापारा बिलासपुर में ख. नं. 172/49 कुल रकबा 2062 वर्गफीट जमीन में पक्का भवन निर्माणाधीन है.

डी. आर. मण्डावी,
अनुविभागीय अधिकारी.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.